संख्या:437/2016/5685जेएल/22-3-16-100(50)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2016***

विषय: उप कारागार, देवबन्द में निरूद्ध 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-38046/सामा-1(3)/सहारनपुर मं0/04/2011, दिनांक 24-10-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार उप कारागार, देवबन्द में निरूद्ध निम्नलिखित 05 (पॉच) सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार समस्त मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति वरिष्ठ अधीक्षक, उप कारागार, देवबन्द, सहारनपुर द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	विनोद उपाध्याय पुत्र श्री राम कुमार उपाध्याय	उप कारागार, देवबन्द	जि0का0 सीतापुर
2	सि0/वि0 बंदी विश्वास पुत्र स्व0 अजीत सिंह	उप कारागार, देवबन्द	जि0का0 खीरी
3	सि0/वि0 बंदी बिट्टू उर्फ शकील पुत्र श्री बशीर	उप कारागार, देवबन्द	जि0का0 हरदोई
4	सि0/वि0 बंदी दीपचन्द्र उर्फ दीपा पुत्र श्री केवल	उप कारागार, देवबन्द	जि0का0 फतेहपुर
5	रजनीश नौटियाल पुत्र श्री जौहरी सिंह	उप कारागार, देवबन्द	जि0का0 देवरिया

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:437/2016/5685जेएल(1)/22-3-16-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, देवबन्द/सीतापुर/खीरी/हरदोई/फतेहपुर/देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवबन्द/सीतापुर/खीरी/हरदोई/फतेहपुर/देवरिया।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, उप कारागार देवबन्द, सहारनपुर एवं अधीक्षक, जि0का0 सीतापुर/खीरी/हरदोई/फतेहपुर/देवरिया।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in